राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. 135/2024

उनवान

घीसाराम पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भड़ौन्दा खुर्द तह व जिला झुन्झुनू।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू–अभिलेख) झुन्झुनू।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

विवेचन दिनांक 21/10/24

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जमीन हाल खसरा नम्बर 713 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 714 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 715 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 716 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 719 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 721 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 722 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 723 रकबा 0.74 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम भड़ौन्दा खुर्द तहत तहसील झुन्झुनूं में स्थित है। जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र मे 1/8 हिस्सा की जमीन वादी के पिता सत्यनारायण पुत्र हरदेव जाति ब्राहम्ण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.05.1974 के माध्यम से दानसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी भड़ौन्दा खुर्द से क्रय की थी। उक्त विक्रय पत्र के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 164 ग्राम पंचायत केहरपुरा कलां द्वारा दिनांक 07.02.1976 को स्वीकृत किया गया है। विक्रय पत्र दिनांक 18.05.1974 मे वादी के पिता सत्यनारायण की जाति ब्राहम्ण है लेकिन विक्रय पत्र के मुताबिक जब नामान्तरकरण संख्या 164 स्वीकृत किया उसमे सहवन से वादी के पिता सत्यनारायण की जाति ब्राहम्ण दर्ज नही हुई तथा उक्त जमीन के अन्य सहखातेदार जाति से राजपूत थे इस कारण वादी के पिता की जाति सहवन व भूल से राजपूत दर्ज होती रही इसी कारण वादी घीसाराम व उसकी माता चन्द्रावली की जाति ब्राहम्ण की बजाय सहवन से व गलत रूप से जाति राजपूत दर्ज हो गई। वादी व उसकी माता चन्द्रावली की जाति ब्राहम्ण की बजाय राजपूत दर्ज होने से वादी कोई सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले सकतें। वादी की माता चन्द्रावली का दिनांक 19.02.2021 को देहान्त हो चुका है। इस कारण उक्त जमीन मे चन्द्रावली के नाम दर्ज 1/16 हिस्सा की जमीन वादी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादी ने दिनांक 27.12.2023 को उपरोक्त अनुसार जाति परिवर्तन एवं माता का हिस्सा वादी के नाम दर्ज करने बाबत तहसीलदार झुन्झुनूं से निवेदन किया तो प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय अदालत हाजा मे रेगुलर दावा पेशकर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी। इस कारण मौजुदा वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। दावा हाजा के लिए वादकारण दिनांक 27.12.2023 को तब जब उपरोक्त अनुसार जाति परिवर्तन एवं माता का हिस्सा वादी के नाम दर्ज करने बाबत तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

झुन्झुनूं से निवेदन किया तो प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय अदालत हाजा मे रेगुलर दावा पेशकर आदेश प्राप्त करने की सलाह देने के रोज माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे पैदा हुआ। अतः दावा मय शपथ पत्र एवं डुप्लीकेट प्रति के पेशकर निवेदन है कि :– (क) वाद वादी डिक्री किया जाकर जमीन हाल खसरा नम्बर 713 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 714 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 715 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 716 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 719 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 721 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 722 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 723 रकबा 0.74 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम भड़ौन्दा खुर्द तहत तहसील झुन्झुनूं मे वादी को स्वंय की 1/16 हिस्सा की एवं अपने माता चन्द्रावली स्त्री सत्यनारायण के 1/16 हिस्सा की कुल 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। शेष राजस्व रिकॉर्ड बदस्तूर रखा जावे एवं वादी एवं उसकी माता चन्द्रावली की जाति राजपूत की बजाय ब्राहम्ण दुरूस्त की जावे।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी तहसीलदार झुन्झुनू के रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होना जाहिर है। पत्रावली पर बहस वादी सुनी गई।

दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर नम्बर 713 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 714 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 715 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 716 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 719 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 720 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 721 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 722 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 723 रकबा 0.74 हैक्टर में से 1/8 हिस्सा की जमीन वादी के पिता सत्यनारायण पुत्र हरदेव जाति ब्राहम्ण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.05.1974 के माध्यम से दानसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासी भड़ौन्दा खुर्द से क्रय की थी। उक्त विक्रय पत्र के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 164 ग्राम पंचायत केहरपुरा कलां द्वारा दिनांक 07.02.1976 को स्वीकृत किया गया है। विक्रय पत्र दिनांक 18.05.1974 मे वादी के पिता सत्यनारायण की जाति ब्राहम्ण है लेकिन विक्रय पत्र के मुताबिक जब नामान्तरकरण संख्या 164 स्वीकृत किया उसमे सहवन से वादी के पिता सत्यनारायण की जाति ब्राहम्ण दर्ज नही हुई तथा उक्त जमीन के अन्य सहखातेदार जाति से राजपूत थे इस कारण वादी के पिता की जाति सहवन व भूल से राजपूत दर्ज होती रही इसी कारण वादी घीसाराम व उसकी माता चन्द्रावली की जाति ब्राहम्ण की बजाय सहवन से व गलत रूप से जाति राजपूत दर्ज हो गई, तथा वादी की माता चन्द्रावली का दिनांक 19.02.2021 को देहान्त हो चुका है वादी चन्द्रावली का इकलोता वारिसा है। अतः वादी की माता एवं वादी दोनों का हिस्सा वादी के नाम 1/8 दर्ज किया जावे तथा उक्त भूमि में वादी जाति राजपूत के स्थान पर ब्राहम्ण दर्ज की जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से यह तथ्य जाहिर है कि ग्राम भडुन्दा खुर्द के खाता संख्या नया 119 में वादी घीसाराम पुत्र सत्यनारायण के नाम से हिस्सा 1/16 तथा चन्द्रावली पत्नी सत्यनारायण के नाम से के नाम से हिस्सा 1/16 दर्ज रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी तथा वादी की माता की जाति राजपूत दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजातों यथा विक्रय पत्र में वादी के पिता एवं चन्द्रावली के पति की जाति ब्राहम्ण दर्ज है। वर्तमान में वादी के कथनानुसार वादी की माता की मृत्यु हो चुकी है जिसका वादी इकलोता वारिस है। अतः उपरोक्त तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं न्यायालय मत पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम भडुन्दा खुर्द स्थित भूमि खाता संख्या नया 119 के क्रम संख्या 12 पर दर्ज नाम चन्द्रावली पत्नी सत्यनारायण हिस्सा 1/16 जाति राजपूत सा. देह खातेदार हजफ किया जाकर वादी घीसाराम पुत्र सत्यनारायण को हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी की जाति राजपूत के स्थान पर ब्राहम्ण शुद्ध की जाती है। शेष जमाबंदी बदस्तूर ।

तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/10/24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/10/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner